

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं० 81/चार-एच/16 दिनांक 20-12-93 जो नियम 24(3)उ०प्र० राजकीय सेवक (आचरण)नियमावली,1956 सपठित नियम 425 सामान्य नियमावली (व्यवहार),1957 के अनुपालन के सम्बन्ध में है, से सम्बन्धित विजय कुमार गुप्ता (I) अपर प्रधान न्यायाधीश(परिवार न्यायालय) प्रथम,जौनपुर द्वारा वर्ष 2020-2022 का भू-सम्पत्ति के अर्जन एवं पृथक करने सम्बन्धी विवरण पत्र-

नाम	नियुक्ति	ग्राम, परगना और जिला	क्षेत्रफल एकड में	निर्धारित राजस्व	अनुमानित मूल्य	क्या अर्जित की अथवा पृथक की	किस प्रकार अर्जित की अथवा पृथक की	किससे अर्जित की अथवा पृथक की	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विजय कुमार गुप्ता I	20-12-2003	भूखण्ड सं० 143,योजनान्तर्गत स्थित "M.R.CIT Y"स्थित ग्राम-मिर्जापुर,परगना-लखनऊ,तहसील-बक्शी का तालाब,जिला-लखनऊ के खसरा सं० 61 का मिनजुमला ।	0.0465 एकड	-	182610/-	अर्जित की ।	अपने व अपनी पत्नी के बचत खाते से नकद धनराशि अदा किया ।	न्यू पूजा सहकारी गृह निर्माण समिति लि०,लखनऊ, निबंधन सं० 4006/11 द्वारा सचिव श्री विनय अग्रवाल पुत्र स्व०निरंजन लाल अग्रवाल कार्यालय-मोहिबुल्लापुर, लखनऊ ।	इस भूखण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 27 मई 2014 को हुई है,जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मेरठ जजशिप के पत्रांक सं० 2110/I दिनांकित-01-8-2014 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।
		चरगावाँ,गोरखपुर-	0.0054 एकड		836000	पृथक की	मेरे SBI A/c 3019080 1112 में धनराशि प्राप्त हुई।	(22 वर्ग मीटर=0.005 4 एकड भूमि सडक चौड़ा करने के लिये उ०प्र० सरकार ने अधिग्रहण किया,मुआवजा 16,72,000/- [09 March 21 को] मिला)	

सपठित विवरण
धारित भू-सम्पत्ति का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण

संख्या	नाम	नियुक्ति	मे धारित भूमि	क्षेत्रफल एकड में	अर्जित अथवा पैतृक	निर्धारित वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विजय कुमार गुप्ता I	20-12-2003	सिरसिया गदाई उर्फ बरगदही(भटहट)गोरखपुर	0.672 एकड लगभग	पैतृक	20.00 रुपये लगभग	448800/- रुपये लगभग	
2.	तदैव	तदैव	चरगावाँ,गोरखपुर	0.128 एकड लगभग	पैतृक	4.00 रुपये लगभग	1977786/-रुपये लगभग	(22 वर्ग मीटर भूमि सडक चौड़ा करने के लिये उ०प्र० सरकार ने अधिग्रहण किया,मुआवजा 16,72,000 [09 March 21 को] मिला)

Vijay Kumar Gupta (I)
Addl. Principal Judge(Family Court) I
Jaunpur. ID No. UP6084